सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 157 राँची, मंगलवार, **1** पौष, 1937 (श०)
22 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक-1081, दिनांक 10 सितम्बर, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-12769, दिनांक 16 नवम्बर, 2012; पत्रांक-3219, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 एवं संकल्प संख्या-7887, दिनांक 06 अगस्त, 2014 एवं संकल्प संख्या-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-224/2015, दिनांक 6 अक्टूबर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-340/2014 का०-10475--श्री जितेन्द्र कुमार मंडल, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला- देवघर), तत्तकालीन प्र०वि०पदा०, बरवाडीह, लातेहार के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1081, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रपत्र- 'क'

में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2010 के पूर्व प्रखंड कार्यालय बरवाडीह के द्वारा उषा कम्पनी के 06 जेनेरेटर का क्रय तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह के द्वारा किया गया तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2010 के दौरान पोखरी कला पंचायत को छोड़कर शेष 09 पंचायतों को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह के मौखिक निर्देश पर छोटानागपुर इंटरप्राईजेज, डालटनगंज (पूर्व आपूर्तिकर्ता) से ही उषा कम्पनी के 09 जेनेरेटर की आपूर्ति करवाया गया है।

2. प्रखंड कार्यालय, बरवाडीह के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2010 के पूर्व क्रय किये गये 06 जेनेरेटर के लिए प्रखंड कार्यालय, बरवाडीह के द्वारा दिनांक 19 एवं 20 अगस्त, 2010 को 03 आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन प्राप्त किया गया था। तुलनात्मक विवरणी के आधार पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह के द्वारा आपूर्तिकर्ता, छोटानागपुर इंटरप्राईजेज डालटनगंज के द्वारा Quoted न्यूनतम दर को अनुमोदित करते हुए अपने आदेश ज्ञापांक 393, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के द्वारा 06 जेनेरेटर की आपूर्ति का आदेश दिया गया।

3. आपूर्तिकर्ता छोटानागपुर इन्टरप्राईजेज, डालटनगंज के द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2011 को 06 जेनेरेटर की आपूर्ति प्रखंड कार्यालय, बरवाडीह को दिया गया जिसे श्रीमती स्वीटी सिन्हा, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बरवाडीह द्वारा प्राप्त किया गया। उक्त 06 जेनेरेटर की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा समर्पित अभिश्रव एवं चलान दिनांक 07 जनवरी 2011 पर इंजन नम्बर USA 806007027, USA 806007008, USA 806007025, USA 806007026 USA 806007004 एवं USA 806007024 अंकित किया गया था, जिसके आधार पर मो0 3,28,800 (तीन लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ) रुपये का भुगतान महात्मा गाँधी नरेगा योजना मद से आपूर्तिकर्ता छोटानागपुर इन्टरप्राईजेज, डालटनगंज को कर दिया गया था ।

4. उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में बरवाडीह प्रखंड के पंचायत बरवाडीह, बेतला, केचकी, खुरा, उकामाड एवं कुचिला में आपूर्ति किये गये जेनेरेटरों का निरीक्षण जिला परिषद् सदस्य श्री रघुपाल सिंह एवं वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह के साथ संयुक्त रुप से किया गया, जिसमें बरवाडीह पंचायत का जेनेरेटर मुखिया बरवाडीह के आवास पर तथा खुरा पंचायत का जेनेरेटर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स , बरवाडीह के यहां पाया गया। जबकि अन्य पंचायत बेतला, केचकी, उकामाड, एवं कुचिला के प्रखंड सचिवालय में ही पाये गये। उक्त सभी जेनेरेटर के चलवाये जाने पर उकामाड़ पंचायत को छोड़कर सभी जेनेरेटर को चालू हालत में पाया गया। भौतिक निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि सभी जेनेरटर पर उषा कम्पनी का लेबल लगा हुआ था तथा पूरे जेनेरेटर मशीन पर ISI मार्का अंकित नहीं हुआ जो प्रथम दृष्ट्या Duplicate प्रतीत होता है।

5. जाँचकर्ता द्वारा डालटनगंज जाकर उषा कम्पनी के अधिकृत कम्पनी से पूछताछ करने पर पता चला कि उषा कपनी के द्वारा जेनेरेटर उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि उषा कम्पनी के इंजन का उपयोग कर अन्य कम्पनी के Alternator को एक साथ Assemble कर जेनेरेटर का निर्माण कर कतिपय आपूर्तिकर्ता द्वारा बजार में बेचा जाता है। उषा कम्पनी के 08HP के इंजन एवं किसी अन्य कम्पनी, जिसका नाम स्पष्ट नहीं है के 05KVA के Alternator के लिए है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बरवाडीह प्रखंड में जो जेनेरेटर की आपूर्ति छोटानागपुर इन्टरप्राईजेज डालटनगंज के द्वारा Assemble करके बनाया गया है तथा इसकी ही आपूर्ति इस आपूर्तिकर्ता के द्वारा बरवाडीह प्रखंड को किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए श्री मंडल से विभागीय पत्रांक-12769, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-45, दिनांक 12 जनवरी, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-3219, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से श्री मंडल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी एवं स्मारित भी किया गया, परन्तु उपायुक्त, लातेहार का मंतव्य अप्राप्त रहा। अतः मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-7887, दिनांक

6 अगस्त, 2014 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया। पुनः विभागीय संकल्प संख्या-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री झा के पत्रांक-224/2015, दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री मंडल द्वारा समर्पित बचाव बयान में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

आरोप सं0-1. इस संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा 06 जेनेरेटर का क्रय उषा कम्पनी का निर्धारित प्रावधानों के आलोक में किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा कोई मौखिक आदेश जेनेरेटर क्रय के संबंध में नहीं दिया गया है।

आरोप सं0-2. प्रावधान के आलोक में निविदा के विरुद्ध तीन आपूर्तिकर्ता का कोटेशन प्राप्त किया गया है। तुलनात्मक विवरणी के आधार पर न्यूनतम दर को अनुमोदित करते हुए आदेश ज्ञापांक 393, दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा 06 जेनेरेटर की आपूर्ति का आदेश छोटानागपुर इंटरप्राईजेज, डालटनगंज को दिया गया था।

आरोप सं0-3. उक्त 6 जेनेरेटरों की आपूर्ति के पश्चात् आपूर्तिकर्ता छोटानागपुर इन्टरप्राईजेज, डालटनगंज को मो0- 3,28,800(तीन लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ) रुपये का भुगतान महात्मा गाँधी नरेगा आकास्मिक मद से कर दिया गया।

आरोप सं0-4. इस संबंध में कहना है कि मेरे कार्यकाल अवधि में उपरोक्त 6 सभी जेनेरेटरों को पंचायत सचिवालय हेतु पंचायत सचिव को हस्तगत करा दिया गया था। मेरे स्थानांनतरण के पश्चात् कौन-कौन जेनेरेटर कहाँ रखा गया इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नही है। उपरोक्त जेनेरेटर की गुणवत्ता के संबंध में कहना है कि उक्त सभी जेनेरेटर उषा कम्पनी के हैं एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त जेनेरेटर की एक साल गारंटी का प्रमाण दिया गया था, साथ ही, संदेह की स्थिति में उषा कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञ से

सामानों की जाँच कराये जाने का लिखित प्रमाण भी दिया गया है। जेनेरेटर क्रय करने से पूर्व मेरे द्वारा आपूर्तिकर्ता को गुणवत्ता के संबंध मे लिखित निर्देश दिया गया था कि यदि सामान की गुणवत्ता निम्न पाई गई तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

आरोप सं0-5. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि समानों की गुणवत्ता की जाँच उषा कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञों से करायी जा सकती है।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक में निम्नवत् निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:-

बरवाडीह प्रखंड कार्यालय में जेनरेटर क्रय करने से संबंधित प्रासंगिक संचिका के साथ सुनवाई में भाग लेने का निदेश प्रस्तोता पदाधिकारी को दिया गया था। प्रस्तोता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी संचिका में जेनरेटर क्रय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित करने की कार्रवाई टिप्पणी पृष्ठ पर तथा सूचना प्रारूप नहीं है। दिनांक 19-20 अगस्त, 2010 को तीन कोटेशन प्राप्त हुए जिनमें 08 HP Air cooled Handstart Usha Diesel Engine का दर तथा 5 KVA Alternator with all accessiories का दर quoted है। मेसर्स छोटानागपुर इंटरप्राईजेज, डालटेनगंज का दर न्यूनतम रहने के आधार पर आदेश ज्ञापांक 393, दिनांक 30 अगस्त, 2010 से 06 जेनरेटर सेट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। इस आपूर्ति आदेश में जेनरेटर सेट के specification का कोई उल्लेख नहीं है, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि आपूर्तिकर्त्ता ने आपूर्ति-आदेश के अनुरूप जेनरेटर सेट की आपूर्ति की है। जेनरेटर सेट क्रय करने के पूर्व उपायुक्त, लातेहार के आदेश ज्ञापांक 306/मनरेगा, दिनांक 29 मई, 2010 द्वारा गठित क्रय समिति से इसका specification निर्धारित कर specification का उल्लेख करते हुए निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन कराया जाना चाहिए था। इसके अनुरूप प्राप्त निविदा/कोटेशन के आधार पर क्रय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर आपूर्ति-आदेश में जेनरेटर का पूर्ण specification उल्लेख करना था । क्रय समिति द्वारा निर्धारित specification के अनुरूप सामग्री की

आपूर्ति होने पर इसके भुगतान प्रस्ताव में अनुमोदन किया जाना चाहिए था । परंतु आरोपित पदाधिकारी ने 06 जेनरेटर सेट का क्रय करते समय इन प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया है । अतः जेनरेटर क्रय करने में अनियमितता बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।

श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि श्री मंडल द्वारा जेनरेटर क्रय करने में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में अनियमितता/लापरवाही बरती गई है ।

समीक्षोपरान्त, उक्त आरोपों हेतु सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(2) के तहत् श्री मंडल पर दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक रूप से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जितेन्द्र कुमार मंडल, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 157—50 ।